

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**नियुक्ति अनुभाग-2**  
**संख्या-14/2018/82/दो-2-2018-28/2(5)/2018**  
**लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 2018**  
**आदेश**

श्री जगदीश सिंह, पी0सी0एस0-2006 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-73485 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री जगदीश सिंह, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-19/मिलान डायरी-323/82016 दिनांक 13-11-2017 के अनुसार वर्ष 2017-2018 तक कुल जमा धनराशि रू0-23,58,830/- (रू0-तेईस लाख अटठावन हजार आठ सौ तीस मात्र) जिसमें माह 3/17 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-21,22,947/- (रूपये इक्कीस लाख बाईस हजार नौ सौ सैतालिस मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री जगदीश सिंह के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**उदय भानु त्रिपाठी**  
**विशेष सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, फतेहपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री जगदीश सिंह, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, फतेहपुर।
- 4- श्री जगदीश सिंह, पी0सी0एस0, अपर जिलाधिकारी (वि/रा, फतेहपुर)।

**आज्ञा से,**

**(धनन्जय शुक्ल)**  
**संयुक्त सचिव।**